न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड म०प्र० प्रकरण क्रमांक 132/2014 सत्रवाद मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुलिस थाना मालनपुर जिला भिण्ड म०प्र०।

—————अभियोजन बनाम

हरिओम उर्फ छोटा पुत्र शिवचरन कुशवाह उम्र 20 साल निवासी ग्राम तिलोरी थाना मालनपुर जिला भिण्ड म0प्र0।

.....अभियुक्त

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री एस०के०तिवारी के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र०क० 254/2014 इ०फौ० से उदभूत यह सत्र प्रकरण क० 132/2014 शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर। अभियुक्त द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता।

//निर्णय//

//आज दिनांक 13-11-2014 को घोषित किया गया//

- 01. आरोपी का विचारण धारा 376, 450 भारतीय दंड विधान आरोप के संबंध में किया जा रहा है। उस पर आरोप है कि दिनांक 22.02.2014 को रात्रि नो बजे अभियोक्त्री विनीता पुत्री रामअख्त्यार के आवास ग्राम तिलोरी में अभियोक्त्री के साथ बलात्संग किया एवं उस पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर अभियोक्त्री के मकान में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर गृह अतिचार किया।
- 02. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि अभियोक्त्री जो कि ग्राम तिलोरी मालनपुर में रहती है। दिनांक 22.02.2014 को उसके मम्मी—पापा उसके मामा की लड़की की शादी में ग्वालियर गए थे। घर पर उसकी दादी, दादा और छोटा भईया था। दादी और छोटा भाई खाना खाकर करीब 8 बजे पोर में सो गया थे और उनके दादा गोंडा में सो रहे थे। कमरे में अभियोक्त्री अकेली सो रही थी तभी रात करीब नो बजे आरोपी हरिओम उसके कमरे में आ गया और अंदर कमरे में आकर उसने कुंदी बंद कर दी और उसके साथ जबरदस्ती करने लग गया। वह चिल्लाई तो उसने उसका मुँह बंद कर दिया और डराने, धमकाने लगा। आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया। 09:15 बजे करीब उसका पिता रामअख्द्यार हा गया तो आरोपी दरवाजे की कुंदी खोलकर छत के रास्ते से भाग गया।

उसके पिता यह समझकर कि घर में चोर आ गया है उसके पीछे भागे। घटना दिनांक को शर्म और बदनामी के कारण अभियोक्त्री ने सारी बात अपने पिता को नहीं बताई थी, क्योंकि उसकी शादी पास के ही गाँव में तय हो गई थी और एक—डेढ महीने बाद उसकी शादी होने वाली थी। दिनांक 25.02.14 को जब अभियोत्री की माँ जो कि अपने भाई के यहाँ शादी में गई थी बापस लौटी तब अभियोक्त्री ने सारी घटना अपनी माँ को बताई थी। घटना के संबंध में आरोपी हरिओम उनके घर में चोरी करने के आशय से प्रवेश किया था की रिपोर्ट अभियोक्त्री के पिता रामअख्त्यार के द्वारा दिनांक 22.02.14 को ही थाना मालनपुरी में दर्ज कराई गई जो कि अभियोक्त्री के द्वारा अपनी माँ को उसके साथ बलात्कार की घटना के बारे में बताया जाने पर अभियोक्त्री ने अपने बाबा के साथ थाना मालनपुर जाकर उक्त संबंध में जानकारी दी। अभियोक्त्री का धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष कथन कराया गया, उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। अपराध जो कि धारा 457, 511 भावदंविव के अंतर्गत दर्ज किया गया था जिसमें धारा 376 भावदंविव का इजाफ किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया जो कि कमिट होने के उपरांत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

- 03. आरोपी के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 376, 450 भा0दं०वि० का अरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपी ने जुर्म अस्वीकार किया उसकी प्ली लेखबद्ध की गई।
- 04. दंड प्रिकृया संहिता के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में आरोपी ने स्वयं को निर्दोश होना बताते हुए स्वयं को झूटा फंसाया जाना अभिकथित किया है। बचाव पक्ष द्वारा बचाव में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई।
- 05. आरोपीगण के विरूद्ध आरोपित अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:--
 - 1. क्या दिनांक 22.02.14 को रात्रि नो बजे ग्राम तिलोरी थाना मालनपुर में आरोपी के द्वारा अभियोक्त्री के साथ बलात्संग किया?
 - 2. क्या आरोपी के द्वारा उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर अभियो के मकान में अवैध रूप से प्रवेश कर बलात्कार का अपराध जो कि आजीवन कारावास तक दण्डनीय है कारित करने के आशय से गृह अतिचार कारित किया?

-: सकारण निष्कर्ष:-

बिन्दु क्रमांक 1 व 2

- 06. परस्पर जुडे होने एवं साक्ष्य विवेचना की सुगमता को दृष्टिगत रखते हुए सभी बिंदुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 07. अभियोजन के द्वारा अपने समर्थन में अभियोक्त्री अ0सा0 1, रामअख्त्यार अ0सा02 जो कि अभियोक्त्री का पिता है, गोमती अ0सा0 3 जो कि अभियोक्त्री की मॉ है, रामदास अ0सा0 4, रामसिंह

अ०सा० 5, डॉक्टर साधना पाण्डेय अ०सा० 6, हाकिम सिंह अ०सा०७, कैलाश अ०सा० 8, गब्बर सिंह अ०सा० 9 एवं थाना प्रभारी शेरसिंह अ०सा० 10 के कथन कराए है। इसके अतिरिक्त अभियोक्त्री के धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत दिया गया कथन दिया गया था।

08. अभियोजन के द्वारा बताए गए घटनाक्रम के संबंध में अभियोक्त्री अ0सा0 1 के द्वारा यह बताया गया है कि 4—5 महीने पहले की बात है उसके मम्मी—पापा ग्वालियर शादी में गए थे। ग्राम तिलोरी में अपने मकान में खाना खाकर उसका छोटा भाई और दादी पोर में सो रहे थे और मकान के अंदर वह अकेली सो रही थी। रात को करीब 8—9 बजे उसके पापा ग्वालियर से मामा की लड़की की शादी से लौटकर आये और गेट खटखटाया, इसी दौरान उसकी दादी ने बताया कि छत पर कोई चोर आ गया है। छत से एक आदमी को भागते हुए उसने देखा था। उसके पिता के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट थाना मालनपुर में की गई थी कि कोई चोर छत पर छिपा था। रिपोर्ट के बाद पुलिस घटना स्थल पर आई थी और नक्शा मौका प्र.पी. 1 बनाया था। पुलस ने उससे पूछताछ की थी। वह न्यायालय में वयान देने आई थी। प्र.पी. 2 का वयान मजिस्टेट के समक्ष दिया था जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी के द्वारा यह भी बताया गया है कि घटना के समय वह 18—19 साल की उम्र की थी।

09. अभियोक्त्री के द्वारा अभियोजन प्रकरण का समर्थन न करने के कारण उसे पक्षद्रोही ह् गेषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए है। सूचक प्रकार के प्रश्नों के दौरान इस बात को गलत बताया है कि आरोपी हरिओम कुशवाह अचानक आ गया था और अंदर कमरे में आकर कुंदी बंद कर दी थी। इस बात को भी इंनकार किया है कि वह चिल्लाने लगी तो उसका मुंह बंद कर दिया और उसे डराने धमकाने लगा तथा इस बात से भी इंनकार किया है कि आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया था और शर्म तथा बदनामी के कारण सारी बात अपने पिता को नहीं बता पाई थी और मॉ के लौटने पर मॉ को सारी बात बताई थी। इस प्रकार अभियोक्त्री के द्वारा न्यायालय में हुए कथन में आरोपी के द्वारा उसके घर के कमरे में प्रवेश करने अथवा कमरे में प्रवेश कर उसके साथ बलात्संग करने के संबंध में अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं हुआ है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी के द्वारा स्पष्ट किया है कि आरोपी हरिओम के द्वारा उसके साथ कोई बुरा काम नहीं किया गया था।

10. अभियोजन के द्वारा प्रस्तु अन्य साक्षी गोमती अ0सा0 3 जो कि अभियोक्त्री की माँ है उसके द्वारा बताया गया है कि घटना के चार दिन बाद वह लौटकर आई थी। उसके लौटने पर लड़की ने उसे कोई बात नहीं बताई थी। उक्त साक्षी को भी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए है, किन्तु इस दौरान भी उसके कथनों में अभियोजन प्रकरण का समर्थन या पुष्टि करने वाला किसी प्रकार का कोई तथ्य नहीं आया है। इस प्रकार साक्षी गोमती अ0सा0 3 जिसे कि घटना के संबंध में सर्वप्रथम अभियोक्त्री के द्वारा जानकारी दी जानी बताई जा रही है जिसके उपरांत अभियोक्त्री थाने गई थी। उक्त साक्षिया के कथन के आधार पर भी अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं हुआ है।

11. साक्षी रामअख्त्यार अ०सा० 2 जो कि अभियोक्त्री का पिता है। घटना दिनांक को शादी में ग्वालियर जाना ओर रात को नो साढे नो बजे करीब अपने गाँव घर पर लौटना, उसकी माँ व बच्चे गेट बंद कर सो जाना और उसके खटखटाने पर मॉ के द्वारा उसे बताया कि छत पर कोई है तो वह दौडकर छत पर गया, किन्तु कोर्ठ नहीं मिला था। गॉव वालों ने कहा था कि छत पर आरोपी हिरओम हो सकता है। उसने थाने पर रिपोर्ट की थी जो प्र.पी. 4 है जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। लडकी की साथ घटना घटित होने के संबंध में कोई जानकारी न होना साक्षी के द्वारा बताया गया है।

- 12. इस प्रकार जहाँ तक वर्तमान साक्षी रामअख्त्यार के कथन का प्रश्न है। उक्त साक्षी जिसके द्वारा कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 4 दर्ज कराई है, जिसमें कि चोरी करने की नियत से घर के अंदर प्रवेश करने के बावत् रिपोर्ट लिखाई गई है, किन्तु उक्त रिपोर्ट प्र.पी. 4 में वर्णित तथ्यों का कोई भी समर्थन उक्त साक्षी के द्वारा नहीं किया गया है। ऐसी दशा में प्र.पी. 4 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज तथ्यों की कोई भी पुष्टि उक्त साक्षी के द्वारा नहीं की गई है। उक्त साक्षी को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, इस दौरान भी उसके कथनों में अभियोजन प्रकरण को समर्थन एवं पुष्टि करने हेतु कोई भी तथ्य नहीं आया है। इस प्रकार उक्त साक्षी के कथन से भी अभियोजन प्रकरण का समर्थन व सम्पुष्टि नहीं होती है।
- 13. अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षी रामिसंह अ.सा. 5 जो कि अभियोक्त्री का दादा है के द्वारा भी अभियोजन प्रकरण का किसी भी बिंदु पर कोई समर्थन नहीं किया गया है। उक्त साक्षी को भी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, इस दौरान उनके कथन में भी अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं हुआ है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षीगण रामदास अ०सा० 4, हािकमिसंह अ०सा० 7, कैलाश अ०सा० 8 एवं गब्बर सिंह अ०सा० 9 के कथनों में भी अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं हुआ है। उक्त साक्षीगण को भी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए है, किन्तु इस दौरान भी उनके द्वारा कथनों में अभियोजन प्रकरण का समर्थन एवं पुष्टि करने वाला कोई भी तथ्य नहीं आया है।
- 14. राज्य की ओर से ए.जी.पी के द्वारा अपने तर्क में व्यक्त किया है कि अभियोक्त्री के द्वारा धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन में उसके साथ बलात्संग की घटना घटित होना जो कि उसके घर के अंदर आरोपी के द्वारा प्रवेश कर घटना कारित करने के बारे में बताया है। इस संबंध में मिजस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियोक्त्री के कथन हुए है जो कि प्र.पी. 2 है। प्र.पी. 2 के कथन में उसके द्वारा उसके साथ बलात्कार की घटना आरोपी के द्वारा उसके घर के अंदर प्रवेश कर की जानी बताई है। ऐसी दशा में धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन तथा प्रकरण में उपलब्ध अन्य साक्ष्य के आधार पर आरोपी की दोषसिद्ध उहराया जा सकता है।
- 15. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। यद्यपि यह सत्य है कि अभियोक्त्री के द्वारा धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन में जो कि प्र.पी. 2 का कथन अभिलेख में मौजूद है, उसमें उसके द्वारा, उसके साथ आरोपी के द्वारा घर के अंदर प्रवेश कर बलात्संग की घटना कारित करने के बारे में बताया गया है, किन्तु इस संबंध में अभियोक्त्री के द्वारा न्यायालय में हुए कथन में अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया है। न्यायालय में हुए कथन में अभियोक्त्री के द्वारा यह बताया है कि पुलिस वालों के बताए अनुसार ही उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष कथन दिए थे। उसने अपनी मर्जी से कोई कथन नहीं दिए

थे। अभियोक्त्री के द्वारा अपने न्यायालय में हुए कथन में अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया है। जहाँ तक धारा 164 द.प्र.सं. के कथन का प्रश्न है। इस संबंध में बैजनाथशाह विरुद्ध स्टेट ऑफ विहार 2010 (6) एस.सी.सी. 736 में यह अभिधारित किया है कि धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत किए गए कथन तात्विक साक्ष्य नहीं होते है वह केवल साक्षी के द्वारा किए गए पूर्ववर्ती कथन की तरह है और उस कथन करने वाले व्यक्ति के कथनों की पुष्टि या खण्डन करने हेतु उपयोग में लाया जा सकता है। इस प्रकार के कथन के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध नहीं टहराया जा सकता। चिकित्सक साक्षी डॉक्टर साधना पाण्डेय अ०सा० ६ जिन्होंने कि सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र 16. गोहद में अभियोत्री का परीक्षण किया था। परीक्षण में पीडिता को महामारी आना और योनी मार्ग से ब्लड आना बताया है तथा डेढ से.मी. के लगभग का खरौच का निशान लेप्ट साइड के क्लेरीकल के नीचे मौजूद होना, प्राइवेट पार्ट में कोई भी चोट के निशान न होना बताया है। अभियोत्री के प्यूबिक हेयर, बेजाइनिक श्वाव, चड्डी व सलबार को परीक्षण हेत् प्र.पी. 9 के अनुसार भिजवाये जाना बताया गया है। साक्षी के अनुसार बलात्कार के संबंध में कोई भी निश्चित अभिमत नहीं दिया जा सकता है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी के द्वारा बताया गया है कि क्लेरीकल बोन के नीचे खुजलाने के खरौंच आ सकती है। इस प्रकार चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर जब कि अभियोत्री के द्वारा स्वयं अभियोजन घटना का कोई समर्थन नहीं किया गया है, उसके साथ बालत्संग होने बावत् चिकित्सीय रिपोर्ट के आधार पर प्रमाणित

17. अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षी शेरसिंह अ0सा0 10 जिसके द्वारा बताया गया है कि दिनांक 22.02.2014 को फरियादी रामअख्त्यार के द्वारा आरोपी हिरओम कुशवाह के घर घुसकर करने के प्रयास बावत् रिपों दर्ज कराई थी जो कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अप.क. 50/14 धारा 457, 511 भा0दं0वि0 का पंजीबद्ध किया गया जो कि प्र.पी. 4 है, जिस पर सी से सी भाग पर उनके हस्ताक्षर है। दिनांक 26.02.14 को घटना स्थल का नक्शा मौका पीडिता की निशादेही पर बनाया था जो प्र.पी. 1 है जिस पर बी से बी भाग पर उनके हस्ताक्षर है तथा अभियोक्त्री का कथन उनके निर्देशन में लिया गया था तथा साक्षी गोमती, रामदास, रामसिंह, रामअख्त्यार, होिकम, कैलाश तथा गब्बर के कथन भी उकने बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए थे। पीडिता का मेडीकल परीक्षण कराया गया था और न्यायालय के समक्ष धारा 164 दं.प्र.सं. के संबंध में पीडिता का कथन भी कराया गया था। पीडिता का वैजाइन सिलाइड व अन्य सामाग्री शीलबंद अवस्था में प्राप्त हुई थी जो कि प्र0आर0 ओमप्रकाश के द्वारा जप्त पत्रक प्र.पी. 15 के अनुसार जप्त की गई थी। जप्तशुदा माल परीक्षण हेतु एफ.एस.एल. भेजा था। आरोपी हिरीओम को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 13 बनाया था।

नहीं मानी जा सकती।

विवेचना अधिकारी के कथन का जहाँ तक प्रश्न है। विवेचना अधिकारी के कथन के आधार पर जबिक अभियोक्त्री के द्वारा उसके साथ घटना घटित होने का कोई कथन नहीं किया है। अभियोक्त्री के साथ बलात्संग की घटना घटित होने की संम्पुष्टि एवं समर्थन किसी अन्य साक्ष्य के आधार पर भी नहीं हुआ है। मात्र विवेचना अधिकारी के कथन के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध की प्रमाणिकता सिद्ध होना नहीं मानी जा सकती। एफ.एस.एल. रिपोर्ट का जहाँ तक प्रश्न है। एफ.एस.एल रिपोर्ट प्र.सी. 1 में अभियोक्त्री के चड्डी, स्लाइड, श्वाव तथा आरोपी के स्लाइड व चड्डी में

बीर्य के धब्बे होने पाए जाने का उल्लेख है। किन्तु मात्र इस आधार पर कि उक्त वस्तुओं पर वीर्य के धब्बे होने पाए गए है। अपराध की प्रमाणिकता व उसकी सम्पुष्टि का कोई आधार उक्त तथ्य को नहीं माना जा सकता।

- 19. उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के संबंध में जबकि अभियोक्त्री के द्वारा अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है। अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता किसी अन्य साक्ष्य व परिस्थित के आधार पर भी नहीं होती है। मात्र इस आधार पर किस चिकित्सक के द्वारा आरोपी को संभोग करने में सक्षम पाया गया है, जबिक आरोपी के द्वारा घटना कारित करने के संबंध में कोई भी विश्वास योग्य साक्ष्य नहीं है। आरोपी को दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता। मात्र धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत मिजस्ट्रेट के समक्ष दी गई साक्ष्य जिसमें कि अभियोक्त्री ने उसके साथ घटना घटित होना बताया है जो कि एक कमजोर प्रकार की साक्ष्य है के आधार पर आरोपी को आरोपित अपराध हेतु दोषसिद्ध ठहराया जाना उचित नहीं है।
- 20. आरोपी हरिओम पुत्र शिवचरन के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 376, 450 भा0द0ंस0 का प्रमाणित न पाए जाने से उक्त आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जाता है। आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते है। आरोपी यदि पूर्व में न्यायिक अभिरक्षा में रहा हो तो इस संबंध में प्रथक से धारा 428 जा0फी0 का प्रमाणपत्र तैयार किया जावे।
- 21. प्रकरण में जप्तशुदा शीलबंद पैकेट जिसमें प्यूबिक हेयर, बैजाइनल सिलाइड, शील नमूना जो कि अभियोक्त्री एवं आरोपी से प्राप्त किए गए है, उन्हें अपील अवधि पश्चात् नष्ट किया जाए। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थपलियाल) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड (डी०सी०थपलियाल) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड